

कार्यालय नगर पालिका मण्डल श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

क्रमांक:नपाश्रीमा/2021-22/३७६०

दिनांक: ०६/०१/२०२२

एम्पावर्ड समिति बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक ०६.०१.२०२२ को प्रातः 10.०० बजे नगर पालिका श्रीमाधोपुर में आहूत एम्पावर्ड समिति के समक्ष निमानुसार

- | | |
|--|---|
| ०४(चार) प्रकरण अनुमोदनार्थ एवं विचारार्थ रखा गया। जिसमें निमानुसार एम्पावर्ड समिति के सदस्यों की उपस्थिति रही :- | |
| १. श्रीमान अध्यक्ष नगर पालिका श्रीमाधोपुर | (हरिनारायण)
(अध्यक्ष) |
| २. श्रीमान अधिशासी अधिकारी नगर पालिका श्रीमाधोपुर | (रजत जैन)
(सदस्य सचिव) |
| ३. श्रीमान उप/जिला नगर नियोजक नगर नियोजन विभाग सीकर | (मो. अजहर जाट)
(सदस्य) |
| ४. श्रीमान कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका श्रीमाधोपुर | (लोकेश नितारवाल)
(सदस्य) |
| ५. श्रीमान विधि सलाहकार नगर पालिका श्रीमाधोपुर | (रक्षपाल स्वामी)
(निश्चल बनर्जी)
(विशेष आमंत्रित सदस्य) |
| ६. श्रीमान लेखा प्रभारी नगर पालिका श्रीमाधोपुर | (विशेष आमंत्रित सदस्य) |

उपस्थिति अनुसार कोरम पूर्ण होने पर श्रीमान अध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त समिति की अध्यक्षता करते हुए अध्यक्ष महोदय की

आज्ञा से समिति के समक्ष निम्न प्रकरण / एजेंडा विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ रखे गये :-

१. श्री मुरारी लाल, श्री गिरधारी लाल पुत्रगण श्री चिरंजीलाल एवं श्री लोकेश शर्मा पुत्र श्री नाथूलाल द्वारा स्वयं के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट १९६१ के अन्तर्गत आवासीय पट्टा जारी किये जाने पर विचार / निर्णय :- अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से सदस्य सचिव अधिशासी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदक श्री मुरारीलाल, श्री गिरधारीलाल पुत्रगण श्री चिरंजीलाल एवं श्री लोकेश शर्मा पुत्र श्री नाथूलाल द्वारा स्वयं के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट १९६१ के तहत आवासीय पट्टा हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दिनांक १६.११.२०२१ को प्रस्तुत किया गया। जिस पर नियमानुसार आपत्ति आमत्रण सूचना ०१ राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित की गई। जिस पर निर्धारित अवधि में/ पश्चात कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक ०३.१२.२०२१ की मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूखण्ड पर ९० प्रतिशत निर्माण अविस्थित है। आवेदित भूखण्ड प्रतिबन्धित क्षेत्र में नहीं है। उक्त आवेदित भूखण्ड मार्टर लान-२०३१ में आवासीय आवेदित भूमि शाखा प्रभारी एवं वरिष्ठ लिपिक नगर पालिका श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट अनुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर स्वामित्व सिद्ध हो रहा है एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कट ऑफ डेट ०१.०१.१९९० से पूर्व का कब्जा भी सिद्ध हो रहा है। इस प्रकार आवेदक को आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट १९६१ के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल १३३.९६ वर्गमीटर का दिये जाने यांग है। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा अपनी राय देते हुए उक्त समिति को अवगत करवाया

JM
17/01/2022

गया कि नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा जितनी भूमि का पट्टा दिया जा रहा है, उसके अलावा आवेदक का आवेदित भूमि से लगता हुआ अतिकमण है तो उसे हटाया जावे अथवा इस संबंध में आवेदक से शपथ पत्र लिया जावे कि आवेदित भूमि से हुआ आवेदक द्वारा किया गया किसी भी प्रकार का अतिकमण आवेदक के ख्वयं के खर्च पर हटा लिया जावेगा।

अतः बाद विचार विमर्श एप्पावड़ समिति द्वारा आवेदक श्री मुरारीलाल, श्री गिरधारीलाल पुत्रगण श्री चिरंजीलाल एवं श्री लोकेश शर्मा पुत्र श्री नाथलाल से नियमानुसार युल्लं जमा लिया जाकर आवेदित भूखण्ड का रटेट ग्रान्ट एवं 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 133.96 वर्गमीटर जारी किये जाने का निर्णय सर्वसम्मानि से लिया गया।

2.

श्री अरविन्द कुमार जाखड़ पुत्र श्री भगवन सहाय स्वयं के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 69 (क) नियमन के अन्तर्गत मिश्रित (आवासीय+व्यावसायिक) उपयोग पट्टा जारी किये जाने पर विचार /निर्णय:- अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से सदस्य सचिव अधिशासी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित श्री अरविन्द कुमार जाखड़ पुत्र श्री भगवन सहाय द्वारा स्वयं के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 69 (क) नियमन के तहत मिश्रित (आवासीय+व्यावसायिक) उपयोग पट्टा हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 25.10.2021 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर नियमानुसार आपत्ति आमंत्रण सूचना का प्रकाशन आवेदक द्वारा स्वयं के खर्चे पर 01 राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित करवाई गई। जिस पर निर्धारित अवधि में / परचात कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 16.11.2021 की मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूखण्ड प्रतिबन्धित भूमि में नहीं है। उक्त आवेदित भूखण्ड मास्टर ल्यान-2031 में आगे व्यावसायिक एवं पीछे आवासीय आवधित है। भूमि शाखा प्रमाणी एवं वारिष्ठ लिपिक नगर पालिका श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट अनुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर स्वामित्व सिद्ध हो रहा है, आवेदित भूमि राजस्व रिफाई के अनुसार खसरा नं. 557 गैरेमुमकिन आबादी में दर्ज है, आवेदित भूमि का कब्जा भी सिद्ध हो रहा है। इस प्रकार आवेदक को आवेदित भूखण्ड का राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 69 (क) नियमन के अन्तर्गत मिश्रित (आवासीय+व्यावसायिक) उपयोग पट्टा क्षेत्रफल 572.03 वर्गमीटर का दिये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा अपनी राय देते हुए उक्त समिति, को अवगत करवाया गया कि नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा जितनी भूमि का पट्टा दिया जा रहा है, उसके अलावा आवेदक का आवेदित भूमि से लगता हुआ अतिकमण है तो उसे हटाया जावे अथवा इस संबंध में आवेदक से शपथ पत्र लिया जावे कि आवेदित भूमि से लगता हुआ आवेदक द्वारा किया गया किसी भी प्रकार का अतिकमण आवेदक के स्वयं के खर्चे पर हटा लिया जावेगा।

अतः बाद विचार विमर्श एप्पावड़ समिति द्वारा आवेदक श्री अरविन्द कुमार जाखड़ पुत्र श्री भगवन सहाय द्वारा नियमानुसार मिश्रित (आवासीय+व्यावसायिक) उपयोग पट्टा क्षेत्रफल 572.03 वर्गमीटर जारी किये जाने का निर्णय सर्वसम्मानि से लिया गया।

3.

नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा स्वप्रेरण से 90 (क) सुओमोटो की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त खसरा संख्या 506, 490 कुल खसरे 02 कुल रकमा 0.5500 हैक्टर राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर का कृषि भूमि से गैर-कृषिक प्रयोजनार्थ "कमल नगर" योजना कृषि भूमि के गैर कृषि प्रयोजनार्थ का ले-आउट ल्यान के अनुमोदन पर विचार/ निर्णय :- अध्यक्ष महोदय की

Signature

Signature

Signature

Signature

आज्ञा से सदस्य सचिव अधिशासी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा स्वप्रेण 90 (क) सुअंगोटो की कार्यवाही करते हुए खसरा संख्या 506, 490 कुल खसरे 02 कुल रकबा 0.5500 हैक्टर राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर का गैर-कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किये जाने के कारण उक्त भूमि में अधिकारों और हित को पर्याप्तिन कर राज्य सरकार में समर्त विलंगामों से मुक्त निहित करने हेतु प्रारूप-(12) में सम्बन्धित खातेदारों को नोटिस एवं प्रारूप-(13) की एक प्रति सम्बन्धित तहसीलदार महोदय को भेजकर उक्त वर्णित भूमि के कृषि भूमि के गैर-कृषिक उपयोग की अनुज्ञा प्रदान करने में 07 दिवस की आपत्ति आमत्रण लोक सूखना पर निर्धारित अवधि में/पश्चात कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। श्रीमान तहसीलदार महोदय के पत्रांक एवं भूमि पर अभिवृति अधिकारों को निर्वापित करने के संबंध में आक्षेप / सहमति से सूचित करने हेतु लिखा गया। उक्त आपत्ति आमत्रण लोक सूखना पर निर्धारित अवधि में/पश्चात कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। श्रीमान तहसीलदार महोदय के पत्रांक राजस्व/21/2391 दिनांक 16.12.2021 के द्वारा 90 (क) सुअंगोटो की किये जाने हेतु प्रारूप-(6) में सहमति रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि किसी निवारित प्रवर्ग में नहीं है एवं किसी चायालय का कोई स्थगन आदेश उक्त भूमि पर नहीं है। जिसके उपरान्त नगर पालिका श्रीमाधोपुर के पत्रांक 3334-36 दिनांक 16.12.2021 के द्वारा प्रारूप-(11) में उक्त भूमि के कृषि भूमि से गैर-कृषिक प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु 90(क) सुअंगोटो आदेश जारी किये गये एवं एक प्रति सम्बन्धित खातेदारों को सूखनार्थ प्रेषित की गई। जिसके उपरान्त नगर पालिका श्रीमाधोपुर के पत्रांक 3337 दिनांक 18.12.2021 के द्वारा श्रीमान उप/ जिला नगर नियोजक नगर नियोजन विभाग, सीकर को उक्त भूमि के संबंध में ले-आउट लान अनुमोदन एवं तकनीकी राय हेतु पत्र लिखा गया। जिसके संबंध में श्रीमान जिला नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग सीकर के पत्रांक टीपीएसके.1600/308/श्रीमाधोपुर/2021/1241 दिनांक 21.12.2021 द्वारा पत्र में वर्णित शर्तों के अध्यधीन कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ कमल नगर योजना के अनुमोदन हेतु स्थानीय स्तरीय ले-आउट लान समिति के समक्ष अनुमोदन किये जाने के संबंध में तकनीकी राय प्रदान की गई। इसके अत्यारिक्त उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या 1554/2004 (गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार) के संबंध में दिये गये निर्देश दिनांक 12.01.2017, 08.08.2017, 14.10.2021, 15.12.2018 एवं राज्य सरकार द्वारा इस सन्दर्भ में समय-समय पर जारी अन्य आदेशों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।

अतः श्रीमान जिला नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, सीकर द्वारा दी गई तकनीकी राय एवं नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.17(1)नविधि/अभियान/2021 दिनांक 20.09.2021 के बिन्दु संख्या 2 (i) में दिये गये आदेशों की पालना में स्थानीय एप्पावर्ड समिति के उपस्थित सदस्यों द्वारा खसरा संख्या 506, 490 कुल खसरे 02 कुल रकबा 0.5500 हैक्टर राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर का कृषि भूमि के गैर-कृषिक प्रयोजनार्थ "कमल नगर" योजना का ले-आउट लान अनुमोदन करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

4. **प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 की तैयारियों एवं प्रगति की समीक्षा पर विचार :-** उक्त समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव अधिशासी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के प्रचार-प्रसार हेतु शहर के प्रमुख स्थानों पर प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 से सम्बन्धित होड़िंग लगवाते हुए एवं वार्डवाइंज टीम गठित कर घर-घर पम्पलेट बतवाये जा रहे हैं। शहर के मुख्य समाचार पत्रों के माध्यम से 02 अक्टूबर 2021 से प्रारम्भ होने वाले प्रशासन शहरों के

J
10/2021

Chitrangada
Signature

संग अभियान के दौरान वार्डवाईंज आयोजित किये जाने वाले कैम्पो की सूची का प्रकाशन करवाया गया है, ताकि आमजन को वार्डवाईंज आयोजित किये जाने वाले कैम्पो की सूची का प्रकाशन करवाया गया है, ताकि आमजन को फैलावाई नामान्तरण, निर्माण स्थीकृति, उप-विभाजन, पुर्नगठन, लै-आउट लान अनुमोदन एवं भू-उपयोग परिवर्तन आवेदन के लगभग 325 पत्रावली प्राप्त हो चुकी हैं। जिन पर त्वरित गति कार्यवाही करते हुए पालिका द्वारा 150 पट्टे जारी किये जा चुके हैं तथा शेष प्रकरणों को निस्तारण किये जाने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ है।

अतः उक्त प्रकरण में एम्पावड कमेटी के उपस्थित सदस्यों द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के दौरान आमजन को अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार के माध्यम से जागरूक कर अभियान को सफल बनाते हुए अधिक से अधिक लोगों से पट्टों के लिए आवेदन करवाकर लाभान्वित किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

६/१/२२

(हरिनारायण)

अध्यक्ष

नगरपालिका श्रीमाधोपुर

KJ

(राजत जैन)
आधिकारिक अधिकारी
नगरपालिका श्रीमाधोपुर

८६/५५/८८२

(मो. अजहर जाट)

उप/सिलसिलाधारा नियंत्रण जक
नगर नियंत्रण नाम्भियासिकर
नगर नियंत्रण विभाग, सीकर

(रेखपाल स्वामी)
विधि सलाहकार
नगर पालिका श्रीमाधोपुर

Keshavji
(सिलकुड़ा नियंत्रण विभाग)
कनिष्ठ अधिकारी
नगरपालिका श्रीमाधोपुर

(निश्वल बनर्जी)
प्रमार्श लेखा प्रमार्श
नगरपालिका श्रीमाधोपुर